क्रम	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	रमजीलाल बनाम रामस्वरूप वगैरह T-9.	
8/10/20	वकील फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु 18/11/20 को पेश हो। [signature]	
18/11/20	वकील फरीकैन उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवेदक निगरानी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर रहे। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
08/19	अस्थायी निषेधाज्ञा	30.01.19	18.11.2020

रामजीलाल पुत्र गोपी आयु 55 साल जाति कुम्हार निवासी नीमझाड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। --प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र गोपी आयु 70 साल जाति कुम्हार निवासी नीमझाड़ी तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

उपस्थितः– श्री कमरपाल मीना एड0 वकील प्रार्थीगण।
श्री विनोद कुमार शर्मा एड0 वकील अप्रार्थी सं0 1

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम बगीदा तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 368/982 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा अप्रार्थी सं0 1 के नाम आवंटन हुई थी जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी सं01 का परिवार संयुक्त परिवार चल रहा है। जिा समय अप्रार्थी सं0 1 के नाम भूमि आवंटन हुई तब प्रार्थी नाबालिग था। नाबालिग होने की वजह से बड़े भाई के नाते एवं संयुक्त परिवार होने के नाते अप्रार्थी सं01 के नाम आवंटन कराई गयीं भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 के मध्य करीवन 35 साल पूर्व में आपस मे बंटवारा हो गया है। उक्त आराजी का भी 1/2 हिस्से का वाहमी बंटवारा कराकर प्रार्थी फसल काश्त का लाभ लेता चला आ रहा है। प्रार्थी ने रूपये लगाकर प्रार्थी की हिस्से की आराजी को फसल काश्त योग्य कराकर के काबिज है। प्रार्थी नाबालिग होने के कारण और अप्रार्थी सं0 1 बालिग होने के कारण अप्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे नाम दर्ज होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 खातेदार चला आ रहा है। प्रार्थी ने दिनांक 15.01.2019 को अप्रार्थी सं0 1 से तहसील कार्यालय चलकर प्रार्थी के नाम उक्त आराजी को अपने हिस्से 1/2 नाम कराने के लिए कहा तो इंकार कर दिया है तथा टालम टोल करने लगा तथा अप्रार्थी सं0 1 के मन मे बदनियति आने के कारण उक्त आराजी को प्रार्थी के नाम कराने मे टालम टोल कर रहा है। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीयान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीयान जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाव पेश कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं0 368/982 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बगीदा तहसील सपोटरा मे स्थित आराजी अप्रार्थी सं0 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिससे प्रार्थी या किसी अन्य का कोई लेना देना नही है। प्रार्थी द्वारा झूंठे तथ्य अंकित किये है। अप्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन के समय प्रार्थी का नाबालिग होने एवं संयुक्त परिवार होने के तथ्य गलत दर्ज किया गया है। प्रार्थी अप्रार्थी सं मात्र दो वर्ष छोटा है। अप्रार्थी की उम्र 65 वर्ष है उक्त भूमि दिनांक 31.05.1983 को अप्रार्थी को आवंटित हुई थी। तब प्रार्थी पूर्ण बालिग एवं शादीशुदा था। प्रार्थी एवं अप्रार्थी का परिवार इस भूमि आवंटन से पूर्व करीब 5–6 वर्ष पहले से ही अलग–अलग हो गये थे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी का परिवार कभी संयुक्त परिवार नही रहा। अप्रार्थी को भूमिहीन व्यक्ति होने के कारण सरकार द्वारा दिनांक 30.05.86 को आराजी खसरा नं0 368/982 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन कर कब्जा संभलाया। अप्रार्थी तब से ही आवंटन के बाद लगातार खातेदार रहतु हुये काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी का कभी कोई बाहमी बंटवारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य नही हुआ है। उक्त भूमि ना तो संयुक्त परिवार की अर्जित भूमि है और नाही प्रार्थी की पैतृक भूमि है। इस कारण प्रार्थी

Scanned with CamScanner

उक्त भूमि से कोई हिस्सा लेने एवं बंटवारा कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा बदनियति पूर्वक गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी विधिक अधिकार के यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है। दावा एवं प्रार्थना पत्र हर हाल मे खारिज होने योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी फोटो प्रति सम्वत् 2072–75 ग्राम बगीदा तहसील सपोटरा के मुताबिक अप्रार्थी सं0 1 रिकार्डेड खातेदार है जिसमे प्रार्थी का कोई नाम दर्ज नही है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 आपस मे सगे भाई है। प्रार्थी के तथ्यों को दावा मे साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय किया जावेगा। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner